न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–70 / 2023

पुलिस अधीक्षक, लातेहार

बनाम

मो0 जावेद अहमद एवं अन्य

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लोहार के पत्रांक–1110 / अप0शा0, दिनांक–21.05.2023 से हेरहंज थाना कांड संख्या 18 / 2023 दिनांक–26.04.2023 में जप्त चौदह चक्का (1) ट्रक रजि0 संख्या–JH02F-1123 चेचिस संख्या–MAT541028J3E79887 एवं (2) ट्रक रजि संख्या–JH02AU-2506 चेचिस संख्या–MAT5411071K3B25495 तथा वाहन पर लदे कोयला क्रमशः 30.620 टन एवं 30.570 टन कुल–61.190 टन कोयला राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव में दोनों वाहनों के मालिक का नाम एवं पत्राचार का पता अंकित नहीं रहने के कारण जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से कार्यालय पत्रांक 745 / विधि, दिनांक–30.05.2023 से जप्त वाहन के मालिक का नाम एवं पत्राचार का पता उपलब्ध कराने का हेतु पत्राचार किया गया। उक्त आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा पत्रांक–432 दिनांक–08.06.2023 से vahan.parivahan.gov.in/vahan पोर्टल पर जाँचोपरान्त ट्रक वाहन संख्या–JH02F-1123 चेचिस संख्या–MAT541028J379887 एवं (2) ट्रक रजि संख्या–JH02AU-2506 चेचिस संख्या–MAT5411071K3B25495 वाहन के मालिक का नाम एवं पता उपलब्ध कराया गया, जो निम्न प्रकार है :–

वाहन रजि0 सं0	चेचिस संख्या	मालिक का नाम वो पत्ता
JH02F-1123	MD625DF4151F09393	गीता कुमारी पिता–रामस्वरूप ठाकुर

		पत्ता–मुनका बागीचादर भाभा मार्ग, हजारीबाग
JH02AU2506	MAT541068J1B04391	अरूण कुमार गुप्ता पिता– विशुन प्रसाद पत्ता– राम नगर गलीकोकर, रांची जी0पी0एल0, रांची

जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रजि0 संख्या–JH02F-1123 वाहन का प्रकार मोटरसाईकल (TVS VICTOR GLX) है, जो प्रस्ताव मे अंकित वाहन से भिन्न है। इसी प्रकार वाहन संख्या–JH02AU-2506 का चेचिस– MAT5411068 J1B04391 है, जो प्रस्ताव में अंकित चेचीस संख्या से अलग है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन में वाहन का प्रकार एवं चेचिस नम्बर इत्यादि में भिन्नता होने के कारण पत्रांक 823/विधि, दिनांक–13.06.2023 द्वारा पुलिस अधीक्षक, लातेहार से स्पष्ट प्रस्ताव की मांग की गयी। उक्त आलोक में पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा पत्रांक 1439 दिनांक–28.06.2023 से काण्ड के अनुसंधानकर्ता का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। काण्ड के अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि काण्ड में जप्त दोनों वाहनों का जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से जॉच कराया गया है। हेरहंज थाना कांड संख्या–18/2023 दिनांक–26.04.2023 में जप्त वाहन (1) ट्रक रजि0 संख्या–JH20F-1123 चेचिस संख्या–MAT541028J3C79887 वो इंजन सं0–81C79963844 का वाहन मालिक मो0–जावेद अहमद पे0–मो0 कादुम सा0–डोनबॉस्को, लानेलाही वक्स कॉलोनी, कोकर, रॉची एवं (2) ट्रक रजि0 संख्या–JH02AU-2506 चेचिस संख्या– MAT541068J1B04391 के वाहन मालिक का नाम अरूण कुमार गुप्ता पिता– विशुन प्रसाद पत्ता– राम नगर गलीकोकर, रांची है, जो जप्त वाहन के चेचिस संख्या से अलग है। जप्त वाहन में अंकित चेचिस सं0–MAT541107K3B25495 का जिला परिवहन लातेहार से जॉच कराने पर

16/6

वाहन रजि0 सं0—JH09BB-0961 वाहन मालिक सुधांशु कुमार तिवारी पे0—रामानुज तिवारी सा0—तारा नगर चास बोकारो स्थाई पता—फुलवरिया, खदिया टंडवा, चतरा है, जो जप्त वाहन में हेर—फेर किया हुआ प्रतीत होता है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी ट्रक रजि0 संख्या—JH20F-1123 के वाहन मालिक मो0—जावेद अहमद पे0—मो0 कादुम सा0—डोनवॉस्को, लानेलाही वक्स कॉलोनी, कोकर, रॉची एवं ट्रक रजि0 सं0—JH09BB-0961 वाहन मालिक सुधांशु कुमार तिवारी पे0—रामानुज तिवारी सा0—तारा नगर चास बोकारो स्थाई पता—फुलवरिया, खदिया टंडवा, चतरा को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

विपक्षीगण के अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षीगण के विरूद्ध धारा—379, 414 एवं 341 भा0द0वि0, धारा—21 एम0एम0डी0आर0 अधिनियम एवं झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम) नियम 2017 की धारा—13 के अन्तर्गत हेरहंज थाना कांड संख्या—18/23 दर्ज किया गया। वाहन को कोयला परिवहन चालन में दर्ज समय से तीन घंटे बाद परिवहन करते पकड़ा गया है। जप्त वाहन पर लदे हुए कोयला चोरी का नहीं था। इसलिए धारा—379, 414 एवं 341 भा0द0वि0 लागू नहीं होगा। खनन पदाधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि दोनों वाहनो पर लदे कोयला मगध ओ0सी0पी0 द्वारा जारी चालान के आधार पर ले जाया जा रहा था। कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया गया है। इसलिए एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा—21 लागू नहीं होगा। विपक्षीगण के विरूद्ध नकली या जालसाजी चालन का उपयोग करने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नही किया गया है। यह मामला कोयला परिवहन के लिए निर्गत चलान से तीन घंटा विलम्ब से संबंधित है। यह कोई अपराधिक मामला नहीं है, बल्कि केवल एक कार्यकारणी आदेश का उल्लंघन से संबंधित है। विपक्षीगण के विरूद्ध इसके

अलावा कोई अन्य मामला दर्ज नही है। इस मामले मे माननीय न्यायालय द्वारा A.B.A NO. 6954/2023 से जमानत प्राप्त है।

वाद की कार्यवाही के क्रम मे मोहन साव पिता–श्री दीपन साव, ग्राम–बुकरू, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा आवेदन दिया गया कि हेरहंज थाना कांड संख्या–18/23, मे जप्त वाहन संख्या–JH20F-1123 का वास्तविक स्वामी मैं हूँ तथा वाहन का वास्तविक पंजीयन संख्या–JH0AV-9307 एवं मूल चेचिस संख्या–MAT541089JIF19843 है। उक्त वाहन को दिनांक–20.01.2023 को एकरारनामा के माध्यम से मोहम्मद इलियास पिता–मोहम्मद कयूम, ग्राम–कोकर खोरहा टोली, थाना–कोकर, जिला–रांची को बिक्री किया था। एकरारनामा के अनुसार वाहन का बकाया किस्त का भुगतान मोहम्मद इलियास द्वारा किया जाना था, लेकिन तीन–चार माह बीतने के बाद मुझे पता चला कि बकाया किस्त जमा नहीं किया जा रहा है। मोहम्मद इलियास से कोई जानकारी प्राप्त नही होने के कारण वाहन में लगे G.P.S के माध्यम से वाहन का पता किया तो पता चला कि वाहन हेरहंज थाना में जप्त है। हेरहंज थाना में आवेदन देने के बाद पता चला कि वाहन के मूल चेचिस संख्या मे छेड़छाड़ करके दूसरा चेचिस संख्या पंच करवा दिया गया है तथा किसी अन्य का रजि0 संख्या–JH20F-1123 लगाया गया है। वाहन में की गई हेरा–फेरी की जानकारी दिनांक–15.06.2023 को पुलिस अधीक्षक, लातेहार को दिया गया, जिसके आलोक में TATA MOTOR AUTHORISED DEALER से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक–08.07.2023 को प्राप्त किया गया, जिसमें वाहन का वास्तविक रजि0 सं0–JH02AV-9307 है।

मोहन साव के आवेदन पर कार्यालय पत्रांक 298/विधि, दिनांक–01.03.2024 से थाना प्रभारी, हेरहंज थाना से वाहन ट्रक रजि0 संख्या–JH20F-1123 का प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त आलोक में पु0अ0नि0 हेरहंज थाना द्वारा C.C.IV.PN./1430/22-4-2024 से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में वाहन रजि0 सं0–JH20F-1123 का जॉच जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से कराने पर वाहन का चेचिस नं0–MAT541028J3C79887 पाया गया,

जिसे संदेहास्पद मानते हुए TATA MOTOR AUTHORISED DEALER ENARINDUSTRIAL ENTERPRISES LTD हजारीबाग से जॉच कराया गया। टाटा मोटर के इंजिनियर द्वारा जॉच में वाहन का वास्तविक चेचिस संख्या–MAT541089J1F19843, इंजन संख्या–63703877 है। ऑनलाईन जॉच करने पर रजि0 संख्या– JH02AV-9307 वाहन मालिक का नाम मोहन साव, पिता–दिपन साव, सा–बुक्रू थाना–टंडवा, जिला–चतरा पाया गया। कांड में जप्त ट्रक में अंकित चेचिस संख्या–MAT541028J3C79887 को पंच कराया गया है।

विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकनोपरान्त निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है :–

1. पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक–1110/अप0शा0 दिनांक– 21.05.2023 के साथ संलग्न अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक का प्रस्ताव में वाहन रजि0 सं0–JH02F-1123 चेचिस संख्या–MAT541028J3E79887 इंजन सं0–81C79963844 का जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से सत्यापन में वाहन मालिक का नाम मो0–जावेद अहमद पे0–मो0 कादुम सा0–डोनबॉस्को, लानेलाही वक्स कॉलोनी, कोकर, रॉची, जिसका पहला वाहन मालिक प्रवेश यादव, सिमडेगा हरली हजारीबाग, हस्तांरण तिथि–25.02.2023 फाइनेंसर का नाम श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, रॉची दर्ज है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में कार्यालय पत्रांक 745/विधि, दिनांक–30.05.2023 से जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से जॉच कराया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा जॉच कर वाहन रजि0 संख्या–JH02F-1123, चेचिस संख्या–MD625DF4151F09393 मालिक गीता कुमारी पिता– रामस्वरूप ठाकुर पत्ता–मुनका बागीचादर भाभा मार्ग, हजारीबाग एवं वाहन का प्रकार मोटरसाईकल (TVS VICTOR GLX) पाया गया।
2. वाहन रजि0 सं0– JH02AU-2506 चेचिस संख्या–MAT5411071K 3B25495 का जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से सत्यापन में चेचिस संख्या–MAT541068J1B04391 वाहन मालिक अरूण कुमार गुप्ता पिता–

16/6

विशुन प्रसाद पत्ता– राम नगर गलीकोकर, रांची जी0पी0एल0, रांची पाया गया।

3. पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक–1439/अप0शा0 दिनांक– 28.06.2023 के साथ संलग्न अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक का संशोधित प्रस्ताव में वाहन का रजि0 सं0– JH20F-1123 चेचिस संख्या–MAT541028J3C7 9887, इंजन सं0–81C79963844 का जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से सत्यापन में वाहन मालिक का नाम मो0–जावेद अहमद पे0–मो0 कादुम सा0–डोनबॉस्को, लानेलाही वक्स कॉलोनी, कोकर, रॉची, तथा वाहन रजि0 सं0– JH02AU-2506, चेचिस संख्या–MAT541107K3B25495 का जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से सत्यापन में वाहन का वास्तविक रजि0 सं0–JH09BB-0961 वाहन मालिक सुधांशु कुमार तिवारी पिता– रामानुज तिवारी पत्ता– तारा नगर चास, बोकारो स्थाई पता फुलवरिया, खदिया टंडवा, चतरा दर्ज है।

4. मोहन साव के आवेदन के आलोक में हेरहंज थाना द्वारा C.C.IV.PN./1430/22-4-2024 से उपलब्ध जांच प्रतिवेदन में वाहन रजि0 सं0–JH20F-1123 का जॉच जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से जॉच में चेचिस नं0–MAT541028J3C79887 पाये जाने पर संदेहास्पद मानते हुए TATA MOTOR AUTHORISED DEALER ENARINDUSTRIAL ENTERPRISES LTD हजारीबाग से जॉच कराने पर वाहन का वास्तविक चेचिस संख्या–MAT541089J1F19843, इंजन संख्या–63703877 रजि0 संख्या–JH02AV-9307 वाहन मालिक का नाम मोहन साव, पिता–दिपन साव, सा–बुक्रू थाना–टंडवा, जिला–चतरा तथा ट्रक में अंकित चेचिस संख्या–MAT541028J3C79887 को पंच होने का उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार थाना प्रभारी हेरहंज थाना के प्रतिवेदन में एकरूपता नहीं है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है।

45/16/6

5. राजसात के लिए प्रस्तावित वाहन रजि0 सं0– JH20F-1123 के वास्तविक वाहन मालिक का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। उक्त आलोक में मोहन साव के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

6. विपक्षीगण द्वारा दाखिल जवाब में पंजीयन संख्या–JH02F-1123 वाहन मालिक मो0 जावेद एवं पंजीयन संख्या–JH02AU-2506 वाहन मालिक सुधांशु कुमार तिवारी अंकित है। जबकि थाना प्रभारी हेरहंज थाना द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से सत्यापनोपरान्त प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव में रजि0 सं0–JH20F-1123 का वाहन मालिक मो0–जावेद अहमद तथा रजि0 सं0–JH09BB-0961 का वाहन मालिक सुधांशु कुमार तिवारी अंकित किया गया है। इस प्रकार दोनों वाहनों के पंजीयन एवं वाहन मालिक की वैद्यता संदेहास्पद है।

न्यायालय माननीय खान आयुक्त, राँची द्वारा रिविजन वाद संख्या–28 / 2023, में दिनांक–27.02.2024 को पारित आदेश में कहा गया है कि "As petitoners were not a repeated offender of the JMMC Rule 2017 and there is an alternative remedy in terms of penalty under Rule 54(5) of the JMMC (amendment) rule 2017."

उपरोक्त परिपेक्ष्य में रजि0 सं0–JH20F-1123 एवं पंजीयन संख्या–JH02AU-2506 वास्तविक रजि0 सं0–JH09BB-0961 को सक्षम न्यायालय के वैद्य वाहन मालिक का प्रमाण पत्र एवं उचित पहचान पर अर्थ दण्ड मो0 1,00,000/- रू0 सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने एवं मो0 1,00,000/- रू0 का बंध पत्र प्रस्तुत करने तथा एक स्थानीय जमानतदार के उपरान्त कड़ी चेतावनी के साथ निम्नलिखित शर्तों पर राजसात की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश के बदला नहीं जायेगा।

16/6

2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक / वाहन की आवश्यकता होगी। अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे तथा वाहन को न्यायालय मे समर्पित करेंगे।

3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष मे बिना न्यायालय के आदेश के हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।

4. उक्त वाहन का सक्षम न्यायालय द्वारा वैद्य वाहन मालिक का निर्धारण का प्रमाण, अपना पहचान के रूप में स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल संख्या अंकित कर समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति विपक्षीगण / थाना प्रभारी हेरहंज थाना / जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार / पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं खान आयुक्त, रांची को भेजे। अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

GS 16/6

उपायुक्त, लातेहार।

GS 16/6

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.06.18 17:10:21 +05:30
Location: 192.168.73.92